न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारी:–डॉ.रविन्द्र गोस्वामी,I.A.S.

प्रकरण संख्या –8/2017 (अपील)

GCMS No.- 2017/00173

1. सुभाषचंद जैन आत्मज स्वर्गीय श्री मोतीलाल जैन व्यवसायव्यापर निवासी–169, छीपापाड़ा वार्ड रामपुरा कोटा
2. हितेन्द्र सिंह राव एडवोकेट आत्मज श्री मोहनलाल राव एडवोकेट निवासी–148 रामपुरा कोटा

–अपीलाण्ट.

वनाम

1. ओमप्रकाश शर्मा आत्मज स्वर्गीय नन्दकिशोर निवासी शंकर भवन, बुधवारिया हाट, उज्जेन, मध्य प्रदेश जरिये मुख्तारआम गोपाल लाल शर्मा निवासी– मकान नम्बर–170 ग्रण्ड होटल की गली, रामपुरा कोटा
2. मुन्ना उर्फ सूरजमल आत्मज स्व0 श्री बजरंगलाल माली निवासी–पारस जैन का मकान छीपापाड़ा ग्राण्ड होटल की गली, रामपुरा कोटा
3. दी स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये जिला कलेक्टर कोटा
4. सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, कोटा खण्ड

–रेस्पोडेन्ट.

प्रार्थनापत्र वास्ते घोषणा लाारिस सम्पत्ति अन्तर्गत राजस्थान एस्चीट्स रेगुलेश एक्ट 1956

उपस्थित:–

1. श्री गोविन्द नामदेव, अभिभाषक अप्रार्थी

निर्णय

दिनांक–20.02.2024

1. अपील का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि तत्कालीन छीपापाड़ा वर्तमान वार्ड नं0 41 रामपुरा कोटा में मकान नं0 166 में एक प्राचीन मंदिर भगवान श्री वेंकटेशवरजी व उससे संलग्न सम्पत्ति का स्थित है जो दक्षिण भारतीय स्वर्गीय श्री गोपालाचार्य आत्मज स्वर्गीय श्री निवास जाति द्रविड ब्राह्मण मोजा अडाद निजामत अटरू हाल जिला बांरा मुकीम मोम छीपापाडा वार्ड भाटापाडा वर्तमान वार्ड नं0 41 रामपुरा कोटा में स्थित है । स्वर्गीय श्री गोपालार्यय जी ने उक्त मंदिर से संलग्न मकान का एक भाग स्वर्गीय श्री गंगाराम आत्मज स्वर्गीय गोरूजी धोबी व स्वर्गीय श्री नारायण आत्मज स्वर्गीय श्री गंगाराम माली को दिनांक 8.7.49 को विक्रय किया था जिन्होने दिनांक 9.7.49 को विक्रय किया था जिन्होंने दिनांक 9.7.49 को पण्डित जगन्नाथ आत्मज स्व0 श्री किशलाल जी को 3500/–में विक्रय कियाथा जसका बेयनामा दिनांक 1.8.49 को खरीददार ने प्राप्त कर लिया था । वर्तमान में उक्त मकान कोर्नर मकान पश्चिम दिशा का स्वर्गीय श्रीनाथ शर्मा के नाम पर रजिस्टर्ड है जिसमें उसका लड़का श्री पवन शर्मा निवास कर रहा है । यह मकान स्वर्गीय श्री केसरीलाल धोबी ने विक्रय किया था । उक्त मंदिर की बाकी सम्पत्ति व मंदिर में स्वर्गीय गोपालाचार्य जी के द्वारा नियुक्त पुजारी स्वर्गीय श्री रामनारायण शर्मा पुजारी का कार्य करके एक कमरे में निवास करते थे जिनकी 1972 में मृत्यु हो गयी उसके बाद स्वर्गीय श्री बजरंगलाल माली मंदिर की सेवा पूजा करते हुए एक कमरे में अपने परिवार के साथ निवास करते हुए सम्पूर्ण सम्पत्ति की देखभाल करते चले आ रहे थे जिनकी 1998 में मृत्यु हो गयी उसके प्श्चात उनका लड़का मुन्ना उर्फ सूरजमल प्रथम तल के एक कमरे में अपने परिवार के साथ निवासकरता चला आ रहा था । प्रतिपक्षी कम 1 जो स्थायी रूप से उज्जैन मध्य प्रदेश में निवास करता है ने स्वर्गीय श्री गोपालाचार्य दक्षिण भारतीय के लाओलाद फोत हो जाने के पश्चात लावारिस मकान को हडपने की दृष्टि से आपराधिक षडयंत्र पूर्वक साजिश रचकर प्रतिपक्षी नम्बर 2 मुन्ना

जिला कलेक्टर
कोटा

माली को षडयंत्र पूर्वक अपना किरायेदार बताकर मिलीभगत करके स्वर्गीय पुजारी श्री रामनारायण का अपने आप को दत्तक पुत्र बताकर उक्त तथाकथित किरायेदार के विरूद्ध इनरखलाय की डिक्री न्यायालय सिविल न्यायाधीश उत्तर कोटा से प्राप्त करके दिनांक 22.11.2013 को एक कमरे की डिक्री के आधार पर भगवान वेंकटेश्वर जी के मंदिर व उससे संलग्न 9 कमरों व 2 तिवारियों पर कब्जा करके मेन गेट पर प्रतिपक्षी कम–1 के मुख्तारआम श्री गोपाल लाल शर्मा ने दिसम्बर 2013 में लोहे का जालीदार नया गेट लगाकर ताला लगा दिया जबकि उक्त मंदिर में आने जाने के रास्ते पर हम प्रार्थीगण के जीवन काल से कभी ताला नहीं लगा हम बचपन से ही जन्माष्टमी की झांकिया देखने व मंदिर में दर्शन करने जाया करते थे जिसे प्रतिपक्षी कम–1 मुख्तारआम श्री गोपाल शर्मा ने कानून हाथ में लेकर उक्त लावारिस मकान को प्रतिपक्षी कम–1 मुख्तारआम श्री गोपाल लाल शर्मा ने कानून हाथ में लेकर उक्त लावारिस मकान को प्रतिपक्षी कम 1 का बताकर कब्जा कर लिया । अतः प्रार्थना पत्र में वर्णित सम्पत्ति को लावारिस घोषित कर उसे राजसात किया जावें तथा प्रतिपक्षी कम–4 को सम्पत्ति का सार्वजनक प्रन्यास गठन करने हेतु आदेशित करें एवं मंदिर को सार्वजनिक दर्शनाथ खुलवाया जाने के आदेश प्रदान करें ।

2. प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण की जरिये सम्मन तलबी की गई । अप्रार्थी नं0 1 की ओर से अभिभाषक श्री गोविन्द गोविन्द नामदेव का एवं अप्रार्थी कम 2 की ओर से मोहनलाल राव का वकालतनामा पेश हुआ । अपीलांट एवं वकील अपीलांट दौराने बहस उपस्थित नहीं हुए, वकील अप्रार्थी नं0 2 भी अनुपस्थित है । वकील अप्रार्थी नं0 1 उपस्थित । वकील अप्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11 जाप्ता दीवानी का प्रस्तुत कर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत इस प्रार्थना पत्र को खारिज करने हेतु निवेदन किया जिसके समर्थन में फर्द के साथ दस्तावेज प्रस्तुत किया । जिसका जवाब वकील प्रार्थी द्वारा पूर्व में दिया जा चुका है जो पत्रावली संलग्न है । प्रार्थी एवं वकील प्रार्थी बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से इस प्रार्थना पत्र का गुणावगुण के आधार पर निर्णय हेतु वकील अप्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी ।

3. वकील अप्रार्थी द्वारा दौराने बहस कथन किया है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रतिपक्षी कम 2 से मिलीभगत करके एवं षडयन्त्र रचकर यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में प्रतिपक्षी कम 2 मुन्ना उर्फ सूरजमल द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष इसी सहायता क लिये दिनांक 12.7.2011 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर चुका है जिसको माननीय न्यायालय द्वारा दर्ज कर उक्त प्रार्थना पत्र की सक्षम अधिकारी प्रतिपक्षी कम 4 को सतर्कता विभाग के माध्यम से डिस्पेच रजिस्टर कमांक/3981 दिनांक 19.7.2011 को उक्त मामले की विस्तृत रूप से जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु देवस्थान विभाग को प्रेषित किया जाने पर देवस्थान विभाग द्वारा उक्त मामले की सम्बन्धित पक्षकारों से मोखिक साक्ष्य एवं दस्तावेजी साक्ष्य लेकर वास्तविक रिपोर्ट प्रतिपक्षी कम 4 को कमांक 196 दिनांक 18.8.2011 को मय रिपोर्ट एवं दस्तावेजों के साथ प्रेषित की गई तथा उक्त जांच रिपोर्ट को मय दस्तावेज प्रतिपक्षी कम 4 द्वारा पत्र कमांक/2315 दिनांक 8.9.2011 को प्रेषित की गई तथा उक्त जांच रिपोर्ट में प्रतिपक्षी कम 2 द्वारा किरायेदारी परिसर से बेदखल करने के आदेश प्राप्त करने से व्यथित होकर मिथ्या एवं मनबढन्त तथ्यो के आधारपर प्रतिपक्षी कम 2 द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना बताया तथा माननीय न्यायालय द्वारा प्रतिपक्षी कम 2 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को आधारहीन होने के कारण फाईल कर दिया गया । उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में सक्षम अधिकारी द्वारा पूर्ण जांच करने तथा माननीय न्यायालय द्वारा आदेश पारित करने के बाद भी प्रतिपक्षी कम 2 द्वारा प्रार्थीगण से सांठगांठ एवं षडयन्त्र रचकर प्रार्थी प्रतिपक्षी कम 1 के साम्पतिक अधिकारों से वंचित करने के लिये पुनः सक्षम न्यायालय द्वारा प्रकरण कर निस्तारण करने के बावजूद भी उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जो धारा 11 जाप्ता दीवानी की परिधि में आता है तथा उक्त प्रावधानों के तहत प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रार्थना पत्र कानूनी प्रावधानों की परिधि में आने के कारण प्रथम दृष्ट्या ही खारिज किये जाने योग्य है ।

जिला कलेक्टर
कोटा

4. हमने वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । वकील प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 3.5.2017 को प्रस्तुत कर तत्कालीन छीपापाड़ा वर्तमान वार्ड नं0 41रामपुरा कोटा में मकान नं0 166 में

एक प्राचीन मंदिर भगवान श्री वेंकटेशवरजी व उससे संलग्न सम्पत्ति को लावारिश घोषित कर उसे राजसात किये जाने एवं उक्त सम्पत्ति को सार्वजनिक प्रन्यास गठन करने हेतु एवं मन्दिर को सार्जनिक दर्शनार्थ खुलवाये जाने के लिये प्रतिपक्षी कम 4 को आदेशित करने की प्रार्थना की है । इस सम्बन्ध में वकील अप्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11 जाप्ता दीवानी का दिनांक 10.10.2022 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रतिपक्षी कम 2 मुन्ना उर्फ सूरजमल द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष इसी सहायता क लिये दिनांक 12.7.2011 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर चुका है जिसकी विस्तृत रूप से जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु देवस्थान विभाग को प्रेषित किया जाने पर देवस्थान विभाग द्वारा उक्त मामले की सम्बन्धित पक्षकारों से मोखिक साक्ष्य एवं दस्तावेजी साक्ष्य लेकर वास्तविक रिपोर्ट प्रतिपक्षी कम 4 द्वारा पत्र कमांक/2315 दिनांक 8.9.2011 को प्रेषित की गई तथा उक्त जांच रिपोर्ट में प्रतिपक्षी कम 2 को किरायेदारी परिसर से बेदखल करने के आदेश प्राप्त करने से व्यथित होकर मिथ्या एवं मनबढन्त तथ्यो के आधार पर प्रतिपक्षी कम 2 द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुतकरना रिपोर्ट मे जाहिर आया है । वकील अप्रार्थी कम 1 द्वारा सिविल न्यायाधीश(क0ख) उत्तर कोटा का दीवानी वाद संख्या 301/1989 उनवान ओमप्रकाश शर्मा बनाम बजरंगलाल वगै0 निर्णय दिनांक 3.8.2011 का प्रस्तुत किया जिस अनुसार प्रतिवादी मुन्ना किरायादार को 2 माह के अन्दर वाद अधीन परिसर को दो माह के खाली कर कब्जा सुपुर्द करने के आदेश दिये है । इस प्रकार हम यह पाते है कि प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित सम्पत्ति के सम्बन्ध में पूर्व न्यायिक निर्णय हो चुका है जो Res Judicata का सिद्वान्त लागू होता है । प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सारहीन होने से अस्वीकार योग्य है ।

5. परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र गुणावगुण के आधार पर स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है ।

6. निर्णय आज दिनांक 20.02.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(डॉ. रविन्द्र गोस्वामी)
जिला कलक्टर कोटा
जिला कलक्टर
कोटा